



क्र/स्था./राजभाषा/2023/1616


दिनांक : 17/10/2023

// आदेश //

जैसा कि आपको विदित है माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय समय पर शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया जा रहा है राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के संबंध में संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय का पत्र (अ.शा. पत्र सं. 13035.11/3/95-रा. भा.ए. दिनांक 30 अगस्त 2023) प्राप्त हुआ जिसके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है :-

1. हिन्दी के सभी पत्रों में हस्ताक्षर हिन्दी में हों।
2. हिन्दी के सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में निर्गत किये जाने हैं।
3. "क" और "ख" क्षेत्र के सभी पत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी हों।
4. सभी विभागों के सभी प्रपत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी किया जाना सुनिश्चित हों।
5. सभी रजिस्ट्रों के शीर्षक द्विभाषी होना चाहिए।
6. जितने भी टेंडर निर्गत हों कम से कम मूल प्रपत्र हिन्दी में हों।

सभी विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/केन्द्राध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी अनिवार्य है/सुनिश्चित करें।


निदेशक

प्रतिलिपि :

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. डॉ. सविता दीक्षित, प्राध्यापिका, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनिट भोपाल।
4. समस्त अनुभागीय अधिकारी/प्रभारी।
5. प्रभारी, वेबसाइट अपलोड हेतु।
6. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
7. निज सहायक निदेशक, रिकार्ड हेतु।